पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे
वर्ष 2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 19300

==========

संजीव कुमार दिवाकर, पिता स्वर्गीय अशोक कुमार,निवासी गाँव-तेघरा, थाना-तेघरा जिला-बेगुसराय।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बेगुसराय।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), बेगुसराय।

.... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री अमरेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
		श्री ओंकार कुमार, अधिवक्ता
		श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/यों के लिए	:	सुश्री मीरा सिंह, जीपी 23 की एसी

==========

रिट याचिका -याचिकाकर्ता की नियुक्ति को नागर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर किए गए नियुक्ति से नियमित शिक्षक के रूप में संशोधित कर नियमित वेतनमान प्रदान करने हेतु दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के पिता का निधन वर्ष 2003 में हुआ था, जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नियमित पद पर था, जिसमें परिलाभ शामिल थे।

निर्णय - अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वचालित रूप से नहीं दी जा सकती, बल्कि यह विभिन्न मापदंडों की कड़ी जांच के अधीन होती है, जिसमें परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के रोजगार की स्थिति शामिल है। इसलिए, कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का नैतिक अधिकार नहीं रखता। (पैराग्राफ 7)

याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 2003 में हुई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु की तिथि और उस समय लागू नियमों पर

विचार नहीं किया। - समानता के आधार पर याचिकाकर्ता ने एक उचित मामला प्रस्तुत किया है। कई मामलों में, जिन व्यक्तियों के पिता सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए थे, उन्हें तृतीय श्रेणी (Class III) और चतुर्थ श्रेणी (Class IV) के पदों पर नियुक्त किया गया है। - निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को निर्देश दिया जाता है कि वे पहले याचिकाकर्ता की नियुक्ति के संबंध में की गई त्रुटि को सुधारें और इसे 2006 के नियमों के नियम 10 के अनुसार संशोधित करें। सुधारात्मक कार्रवाई उसी नियम के तहत की जानी चाहिए, जो याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रभावी था, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। (पैराग्राफ 8)

रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैराग्राफ 9)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह
मौखिक निर्णय
तारीखः 30-01-2025

याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अमरेश कुमार सिंह के साथ श्री ओंकार कुमार और श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, और राज्य की ओर से जी पी 23 की ए सी सुश्री मीरा सिंह, राज्य की ओर से जी. पी. 23 की ए. सी. को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने अन्य प्रार्थनाओं के साथ-साथ रिट याचिका के पैराग्राफ नंबर 1 में निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः

> *"कि यह आवेदन नियमित वेतमान के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है की याचिकाकर्ता की नगर प्रारंभिक शिक्षक अनुदान के आधार पर की नियुक्ति को संशोधित कर के नियमित शिक्षक के रूप मे की जाए क्यों कि*

याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु वर्ष 2003 में हुई थी जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान परिणामी लाभ के साथ नियमित पद पर था।"

3. शुरुआत में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से पीड़ित था और समय-समय पर परामर्श जारी किए जा रहे थे, याचिकाकर्ता ने वचन दिया था कि जब माननीय न्यायालय सामान्य स्थिति के बाद सुचारू रूप से काम शुरू कर देगा, तो आवश्यक न्यायिक शुल्क जमा कर दी जाएगी। आज अदालत में, विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका का भौतिक संस्करण एवं न्यायिक शुल्क के साथ रजिस्ट्री में तत्काल दाखिल करने का वचन देते हैं।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के पिता, जो हाई स्कूल में क्लर्क थे, की मृत्यु 25.08.2003 को हो गई, जबकि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दायर CJWC संख्या 12797 वर्ष 2020, लंबित था। मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था, जो स्वीकृत की गई थी और याचिकाकर्ता और उसकी माँ को उसके भाई सहित प्रतिस्थापित किया गया था। हालाँकि, रिट याचिका को 11.08.2006 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता सहित याचिकाकर्ता की माँ ने LPA संख्या 627 वर्ष 2006 दायर की, जिसे 20.07.2011 को स्वीकृत किया गया। इसके बाद, इस मामले पर राज्य सरकार और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार के स्तर पर विचार किया गया, जहां याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय अशोक कुमार को सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का आदेश पारित करना उचित पाया गया। प्रतिस्थापित याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुरोध किए गए

राहत की अनुमति दी गई, जिस में कहा गया कि याचिकाकर्ता की मां पारिवारिक पेंशन की हकदार थी, साथ ही याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने का भी हकदार था। यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 25.08.2003 को हुई थी, हालांकि, याचिकाकर्ता की नियुक्ति बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियम, 2006 (इसके बाद "नियम, 2006" के रूप में संदर्भित) के प्रावधान के अनुसार की गई थी, जो 01.07.2006 से लागू हुआ था। जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), बेगुसराय द्वारा फिर से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए और यह स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियम, 2006 के नियम 10 के अनुसार की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में यह आधार लिया है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 25.08.2003 को हुई थी और नियम, 2006 01.07.2006 से लागू हुए थे, लेकिन याचिकाकर्ता को आज तक वेतनमान के स्थान पर केवल मानदेय मिल रहा है, हालांकि उनकी नियुक्ति स्थायी आधार पर की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा के नियमों के संबंध में वह कानून प्रासंगिक होगा जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को प्रचलित था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 25.08.2003 को हुई थी और उक्त समय में प्रचलित नियम तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए थे। याचिकाकर्ता के मामले में नियम, 2006 के अनुसार पंचायत शिक्षक के पद पर नहीं बल्कि तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त होने के लिए विचार किया जा सकता था। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1564 वर्ष 2021 से उत्पन्न**

सरकार के सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक) और अन्य बनाम भीमेश @ भीमप्पा (सिविल अपील संख्या 7758 वर्ष 2021) में निर्धारित कानून पर निर्भरता रखी है जिसमें 16.12.2021 को आदेश पारित किया गया था। इन पृष्ठभूमि में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के उन नियमों के अनुसार नियुक्त होने का हकदार है जो वर्ष 2003 में उनके पिता की मृत्यु के समय प्रचलित थे। उन्होंने आगे कहा कि समान रूप से स्थित शिक्षकों के मामलों पर जिला शिक्षा अधिकारी (स्थापना) द्वारा विचार किया गया था और याचिकाकर्ता को समान व्यवहार नहीं दिया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि रिट याचिका कोविड-19 के दौरान दायर की गई थी, जिस अवधि के दौरान पूरी दुनिया पीड़ित थी और उक्त महामारी के कारण मामले में देरी हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अपनी याचिका को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं है, जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में भी अनुरोध किया गया है।

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को नियम, 2006 के अनुसार नियुक्त किया गया है और पहले के नियमों को निरस्त कर दिया गया है। जहां तक अनुकंपा नियुक्ति के नियम का संबंध है, नियम, 2006 के नियम 10 के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर राज्य सरकार के तहत तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त होने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है, भले ही याचिकाकर्ता के पिता राज्य सरकार के कर्मचारी थे, जिन की स्कूल में क्लर्क के रूप में काम करते हुए मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि

याचिकाकर्ता उन व्यक्तियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है जिनके मामले पर स्थापना (जिला शिक्षा विभाग का भाग) द्वारा विचार किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता का मामला उन व्यक्तियों से पूरी तरह से अलग है।

7. पक्षों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के साथ-साथ, इस तथ्य पर भी, कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वचालित तरीके से नहीं, बल्कि परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की सख्त जांच के अनुसार की जाती है। इसलिए, कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या वह योजना जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से लागू थी, यानी याचिकाकर्ता के पिता, जिनकी मृत्यु तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के रूप में हुई थी, जबकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित स्कूल में क्लर्क के रूप में तैनात किया गया था, याचिकाकर्ता पर लागू होगी। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने भीमेश @ भीमप्पा (ऊपर) में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर किया है। पैराग्राफ सं. 17 से 20 का पुनरुत्पादन करना मुझे लाभदायक लगता है, जो इसके बाद पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

> *"17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि हम उस तरीके का गहन विश्लेषण करते हैं जिस से इस न्यायालय ने कर्मचारी की मृत्यु*

के बाद लागू होने वाली एक नई या संशोधित योजना की प्रयोज्यता की व्याख्या की है, तो हम एक रोचक विशेषता देख सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां मौजूदा योजना के तहत देय लाभ छीन लिया गया था या कम लाभ के साथ प्रतिस्थापित किया गया था, उन मामलों में इस न्यायालय ने नई योजना को लागू करने का निर्देश दिया, लेकिन ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक संशोधित योजना द्वारा मौजूदा योजना द्वारा देय लाभों को बढ़ाया गया था, इस न्यायालय ने केवल उस योजना को लागू किया जो कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से लागू थी। यह मूल रूप से इस तथ्य के कारण है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को हमेशा नियुक्ति के सामान्य तरीके का अपवाद माना जाता रहा है और शायद अनुकंपा के दृष्टिकोण से ज़्यादा कानून के शासन के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है।

18. यदि अनुकंपा नियुक्ति सेवा की शर्तों में से एक है और इसे कर्मचारी की मृत्यु होने पर स्वचालित आधार पर किसी भी प्रकार की जांच के बिना दिया जाने लगा जाता है तो इसे कानून में निहित अधिकार के रूप में

माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वतः नहीं होती है, बल्कि परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की सख्त जांच के बाद होती है। इसलिए, कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है। यही कारण है कि जिन निर्णयों को हमने ऊपर सारणीबद्ध किया है, उनमें से कुछ ने संशोधित योजनाओं की प्रयोज्यता की अलग-अलग व्याख्या की है, जिस से राय का विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। बावजूद इस के कि इस बात पर विवाद है कि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को लागू योजना लागू होगी या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने की तारीख को लागू योजना लागू होगी, उपरोक्त निर्णयों में परिलक्षित अंतर्निहित सोच के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधाभास नहीं है। जहां भी संशोधित योजनाओं ने मौजूदा लाभों को कम किया, इस न्यायालय ने उन लाभों को लागू किया, लेकिन जहां भी संशोधित

योजना ने बड़े लाभ दिए, पुरानी योजना को लागू किया गया।

19. राय के विरोधाभास का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दो तिथियों के इर्द-गिर्द घूमता है, अर्थात् (i) कर्मचारी की मृत्यु की तारीख; और (ii) आश्रित के आवेदन पर विचार करने की तारीख। इन दो तिथियों में से केवल एक, अर्थात् मृत्यु की तारीख ही एक निश्चित कारक है जो नहीं बदलता है। दूसरी तारीख अर्थात् दावे पर विचार करने की तारीख कुछ ऐसी है जो कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि आवेदन दाखिल करने की तारीख, दावेदार के व्यस्क होने की तारीख तथा जिस तारीख को फाइल को सक्षम प्राधिकारी के सामने रखा जाता है। वैधानिक व्याख्या का कोई सिद्धांत नहीं है जो किसी नियम की प्रयोज्यता पर निर्णय को अनिश्चित या परिवर्तनीय कारक पर आधारित होने की अनुमति देता है। आइए हम उदाहरण के लिए एक काल्पनिक मामले को लें जहां 1 जनवरी, 2020 को 2 सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। मान लीजिए कि इन 2 मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित 2 अलग-अलग तिथियों

जैसे 29.05.2020 और 02.06.2020 पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं और एक संशोधित योजना 1 जून, 2020 को लागू होती है। यदि दावे पर विचार करने की तारीख को यह निर्धारित करने के लिए मानदंड माना जाता है कि संशोधित योजना लागू होती है या नहीं, तो इस से दो अलग-अलग परिणाम मिलेंगे, एक उस व्यक्ति के संबंध में जिसने 1 जून, 2020 से पहले आवेदन किया था और दूसरा उस व्यक्ति के संबंध में जिसने 1 जून, 2020 के बाद आवेदन किया था। दूसरे शब्दों में, यदि एक ही तिथि पर दो कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है और उन कर्मचारियों के आश्रित दो अलग-अलग तिथियों पर आवेदन करते हैं, एक संशोधित योजना लागू होने से पहले और दूसरा उसके बाद, तो वे अलग-अलग व्यवहार के लिए आएंगे यदि आवेदन की तारीख और उस पर विचार करने की तारीख को निर्णायक कारक माना जाता है। व्याख्या का एक नियम जो व्यक्ति क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए भिन्न परिणाम उत्पन्न करता है, अकल्पनीय है।

यही कारण है कि कुछ बैंकों के प्रबंधन ने, ऊपर सूचीबद्ध मामलों में, संशोधित योजना में ही एक नियम पेश किया है, जिस में सभी लंबित आवेदनों पर नई/संशोधित योजना के तहत निर्णय लेने का प्रावधान है। इसलिए, हमारा विचार है कि एक संशोधित योजना की प्रयोज्यता के बारे में व्याख्या केवल एक निर्धारित और निश्चित मानदंड जैसे कि मृत्यु की तारीख पर निर्भर होनी चाहिए, न कि एक अनिश्चित और परिवर्तनशील कारक पर।

20. मामले की बात करें तो कर्मचारी की मृत्यु 8.12.2010 को हुई थी और नियमों में संशोधन का प्रस्ताव 20.06.2012 को एक मसौदा अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। अंतिम अधिसूचना 11.07.2012 को जारी की गई थी। केवल इसलिए कि नियुक्ति के लिए आवेदन संशोधन के मुद्दे के बाद विचार के लिए लिया गया था, प्रतिवादी संशोधन का लाभ नहीं मांग सकता था। अक्कमहादेवम्मा में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय, जिस पर न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी निर्भर किया था, अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं

था, क्योंकि अक्कमहादेवम्मा में संशोधन मौजूदा नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकार से बाहर घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप हुआ था।

8. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, मैंने पाया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 28.05.2003 को हुई थी, जिस के बाद याचिकाकर्ता को प्रतिस्थापित किया गया था और याचिकाकर्ता का दावा इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, जिसका अंत में एलपीए सं 627 वर्ष 2006 में निर्णय लिया गया था और अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु की तारीख और उन नियमों को ध्यान में नहीं रखा है जो एक ही समय प्रचलित थे। मैं इस तथ्य पर भी ध्यान देता हूं कि याचिकाकर्ता ने समता के सधार पर भी मामला बनाया है। कई व्यक्तियों के मामलों में जिनके पिता की नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी, उपयुक्त अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई में सुधार कर उन्हें III और IV श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया है, जैसा कि रिट याचिका के अनुलग्नक 7 से स्पष्ट है। मुझे बिहार सरकार के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को निर्देश देना उचित लगता है कि वे पहले उस कार्रवाई को सुधारने के लिए आगे बढ़ें जो नियम, 2006 के नियम 10 के अनुसार याचिकाकर्ता की नियुक्ति करते समय गलती से की गई है। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय अनुकंपा नियुक्ति पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाई किए जाने की आवश्यकता है, जो शीर्ष अदालत द्वारा भीमेश उर्फ भीमप्पा (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार हैं।

9. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

10. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, तो उन को निष्पादित किया जाता है।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।